रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 11, 2009/भाद्र 20, 1931
No. 523] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2009/BHADRA 20, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2009

सं. 99/2009-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 665(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, उन सामग्रियों को, जिनका आयात विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.1.10 की दृष्टि से जारी वास्तविक उपयोगकर्त्ता शर्त के साथ वार्षिक आवश्यकताओं के लिए अग्रिम प्राधिकार (एतश्मिन पश्चात् जिसे उक्त प्राधिकार के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रति भारत में किया गया हो, एतद्द्वारा, उस पर लगने वाले उस सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से जो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और उस सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क, जो कि उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत लगाये गए हैं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट प्रदान करती है यथा—

(i) आयात की मात्रा और उसके मूल्य को घटाये जाने के लिए निकासी के वक्त उक्त लाइसेंस को उपयुक्त सीमा-शुल्क अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है ।

(ii) कि उक्त प्राधिकार में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए :

(क) यदि प्राधिकार निर्यातक व्यापारी को जारी किया गया है तो ऐसे मामलों में आयातक और समर्थनकारी विनिर्माता का नाम और पता; और

(ख) निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरा किये जाने के बाद जहां आयात किया जाता है तो उस स्थिति में परिणामी उत्पाद के निर्यात के शिपिंग बिल के नम्बर और तारीखें और निर्यात का वर्णन, मात्रा और मूल्य; या

(ग) ऐसे मामलों में जहां आयात निर्यात संबंधी निर्यात्वों को पूरा किये जाने के पहले किया जाता है, तो आयातित सामग्री का विवरण लागत बीमा किराया मूल्य और अन्य विशेषताएं और प्रक्रिया पुस्तिक खंड-I में विनिर्दिष्ट निर्यात उत्पाद समूह के अंतर्गत आने वाले परिणामी उत्पादों के निर्यात का विवरण, मात्रा और फ्री आन बोर्ड मूल्य :

बशर्ते और भी कि विदेश व्यापार नीति की प्रक्रिया पुस्तिका, खंड-I के पैराग्राफ 4.24 क (i) में विनिर्दिष्ट आगतों के विषय में, उक्त प्राधिकार में अनुमति प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता, तकनीकी विशेषता और विवरण की दृष्टि से वही होना चाहिए जो सामग्री परिणामी उत्पादों के निर्यात में प्रयुक्त हुई है।

बशर्ते और भी कि निर्यात कर्त्ता, शिपिंग बिल में, परिणामी उत्पादों के निर्यात में प्रयुक्त सामग्री की तकनीकी विशेषता, गुणवक्ता और विवरण को घोषित करेगा;

(iii) कि जहां आगत निर्गत मानदंड निर्धारित नहीं किये जो है वहां वहां स्वयं की उद्घोषणा के आधार पर जारी प्राधिकार उन आगतों के आयात के लिए भी वैध होगा जो निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में जरुरी होते हैं वशर्ते कि प्राधिकार धारक को क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क या उपायुक्त, सीमा शुल्क की, जैसी भी स्थिति हों, की संतुष्टि तक यह सिद्ध करना पड़ेगा कि पहली शिपमेंट के पहले विदेश व्यापार नीति की प्रक्रिया पुस्तिका, खण्ड-I के पैरा 4.7 की दृष्टि से आयात-निर्यात फार्म में एक आवेदन पत्र तथा उसमें विनिर्दिष्ट और दस्तावेज विदेश व्यापार महानिदेशक के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।

(iv) कि यदि आयात, निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरा किये जाने के पहले किया जाता है तो आयातित सामग्री के लिए अनापत्ति लेते समय आयात कर्त्ता को उस जमानती या प्रत्याभूति का बंध पत्र उस रूप में तथा उस राशि का भरेगा जो सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, विनिर्दिष्ट करें जिसके द्वारा वह लेकिन इसमें निहित छूट के लिए, अपने को इस बात से वचनबद्ध करेगा कि वह उस आयातित सामग्री पर लगाये जाने वाले शुल्क के बराबर की राशि का भुगतान कहे जाने पर कर देगा जिसके बारे में इस अधिसूचना में वर्णित शर्तों को पूरा नहीं किया गया है, साथ ही साथ उक्त सामग्री की स्वीकृति की तारीख से 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भी भुगतान करेगा ।

(v) कि निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरा किये जाने के पश्चात् यदि आयात किया जाता है तो उस स्थिति में यदि सेनवेट क्रेडिट रूल्स 2004 के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया जा चुका है तो आयातकर्त्ता आयातित सामग्री के लिए स्वीकृति लेते समय उपायुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष इस आशय का बंध पत्र भरेगा कि आयातित सामग्री का प्रयोग उसके कारखाने में या उसके द्वारा समर्थित विनिर्माता के कारखाने की शुल्के योग्य माल के विनिर्माण में किया जायेगा और वह उक्त सामग्री की स्वीकृति मिलने की तारीख से 6 महीने के भीतर क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी विशिष्ट या चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्राप्त यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा कि आयातित सामग्री का प्रयोग इस रीति से हो गया है।

बशर्ते और भी कि यदि आयातकर्त्ता आयातित सामग्री पर लगने योग्य अतिरिक्त सीमा शुल्क का भुगतान करता है, लेकिन उसमें निहित छूट के लिए, तो आयातित सामग्री को इस शर्त में उल्लिखित बंधपत्र प्रस्तुत किए बिना भी स्वीकृति को दिया जा सकता है और इस प्रकार अदा की गई अतिरिक्त सीमा शुल्क ड्यूटी पर वह सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट का लाभ पाने का पात्र होगा ।

(vi) कि यदि निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरी तरह निभाने के बाद आयात किया जाता है तो, और यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 18 और नियम 19 के उपनियम (2) के अंतर्गत दी गई सुविधा और सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 के अंतर्गत सेनवेट का लाभ नहीं लिया है तो और आयात कर्त्ता उपायुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, को इस बात का प्रमाण भी सौप देता है तो आयातित सामग्री को शर्त (v) में विनिर्दिष्ट बंध पत्र के बिना भी स्वीकृत किया जा सकता है।

(vii) यह कि आयात और निर्यात समुद्री बन्दरगाह-बेदी (रोजी-जामनगर सहित), चेन्नई, कोचीन, दहेज, धरमतर, हल्दिया (कोलकाता बन्दरगाह का हल्दिया डॉक काम्पलेक्स) काकीनाडा, कांडला, कोलकाता, कृष्णापटनम, मगडाल्ला, मंगलौर, मारमगोवा, मुलद्वारका, मुम्बई, मुन्धरा, नागापट्टिनम, न्हावा शेवा, ओखा, पारादीप, पिपावव, पोरबंदर, सिक्का, तूतीकोरिन, विशाखापट्टपम तथा वदिनार के माध्यम से अथवा अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोचीन, कोयम्बत्तूर, डाबोलिम (गोवा), दिल्ली, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ (अमौसी), मुम्बई, नागपुर, राजासांसी (अमृतसर), श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम तथा वाराणसी स्थित किसी विमानपत्तन के जरिए अथवा आगरा, अहमदाबाद, अनापार्थी (आंध्रप्रदेश), बाबरपुर, बंगलौर, भदोही, भटिन्डा, भीलवाड़ा, भिवाडी, भुसावल, छेहाइता (अमृतसर), कोयम्बत्तूर, दादरी, डाप्पर (डेरा बस्सी), दौलताबाद (वंजारवाड़ी तथा मालीवाड़ा), दिल्ली, डिगही (पुणे), दुर्गापुर (निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क), फरीदाबाद, गढ़ी हरसारू, गौहाटी, गुंटूर, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, जमशेदपुर, जोधपुर, कानपुर, करूर, कोटा, कुंडली, लोनी (जिला गाजियाबाद), लुधियाना, मदुरै, मलांपुर, मन्डीदीप (जिला रायसेन), मिराज, मुरादाबाद, नागपुर, नासिक, पिम्परी (पुणे), पीतमपुर (इन्दौर), पांडिचेरी, रायपुर, रेवाड़ी, रूद्रपुर (नैनीताल), सलेम, सिंगनालूर, सूरत, सूरजपुर, तिरूपुर, तूतीकोरिन, उदयपुर, वडोदरा, वाराणसी, वालुज (औरंगाबाद) स्थित किसी इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से अथवा अगरतला, अमृतसर रेल कार्गो, अटारी रोड, चांगराबान्धा, डावकी, घोजाडंगा, हिल्ली, जोगबानी, महादीपुर, नेपालगंज रोड, नौतनवा (सौनौअली), पेटरापोल, राणाघाट, रक्सौल, सिंघाबाद तथा सुतारखंडी भू-सीमा शुल्क स्टेशन के जरिए अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन के माध्यम से किए जाते हैं ।

यह प्रावधान है कि सीमा शुल्क आयुक्त अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विशेष आदेश द्वारा अथवा सार्वजनिक नोटिस द्वारा और उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी

अन्य समुद्री बंदरगाह, विमानपत्तन, इनलैंड कंटेनर डिपो अथवा भू सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से आयात और निर्यात की अनुमति प्रदान कर सकते हैं;

(viii) विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 2.28 के अंतर्गत स्थापित प्राइवेट बाण्डेड वेयर हाउसेस से आयातित सामग्री की सोर्सिंग किये जाने की अनुमति होगी ।

(ix) कि ऐसे परिणामी उत्पादों का निर्यात करके, जो कि भारत में विनिर्मित हो, जो कि उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट हो और जिसके बारे में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 18 या नियम 19 के उपनियम (2) के अंतर्गत सुविधा प्राप्त न की गई हो, उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट निर्यात संबंधी दायित्वों को (मूल्य और मात्रा दोनो की दृष्टि से) उक्त प्राधिकारण में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर या ऐसी बढ़ी हुई अवधि के भीतर पूरा किया जाय जिसके लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी अनुमति प्रदान करें ;

बशर्ते कि एडवान्स्ड इन्डरमीडिएट प्राधिकार धारक भी विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.1.3 (II) के अनुसार निर्यातक को परिणामी उत्पादों की आपूर्ति करके निर्यात संबंधी दायित्वों को निभा सकता है।

(x) कि आयातकर्त्ता निर्यात संबंधी दायित्वों के निर्वहन का साक्ष्य उपायुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष उसकी संतुष्टि के लिये, दायित्वों को पूरा करने की निर्धारित अवधि की समाप्ति के साठ दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो उपायुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, अनुमति प्रदान करें, प्रस्तुत करता है;

(xi) छूट प्राप्त सामग्री का निर्यात दायित्वों को पूरा किये जाने या ऐसी सामग्री की पुन: पूर्ति को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से निस्तारण या उपयोग नहीं किया जायेगा और इस प्रकार पुन: पूर्त सामग्री का किसी व्यक्ति को न तो अंतरण ही किया जायेगा और न ही उसकी विक्री ही की जायेगी ।

बशर्ते कि उक्त सामग्री ऐसे कार्यकर्त्ता को प्रसंस्करण हेतु अंतरित की जायगी जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की उन सुसंगत अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं जो ऐसे कार्य के लिए सामग्री का अंतरण किये जाने की अनुमति देने के लिए जारी की गई है।

बशर्ते और भी कि कार्य जाब वर्क के लिए ऐसा अंतरण उन ईकाईयों के लिए नहीं किया जायेगा जो अधिसूचना सं.49/03-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 50/03-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दोनो की तारीख 10 जून, 03, 32/99- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 8 जुलाई,1999, 33/99- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 8 जुलाई, 1999, 8/04- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 21 जनवरी, 2004, 20/07- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 25 अप्रैल, 2007, 56/02- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 14 नवम्बर, 2002, 57/02- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 14 नवम्बर, 2002, 71/03- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 9 सितम्बर, 2003, 56/03- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 25 जून, 2003, 39/01- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31 जुलाई, 2001; की दृष्टि से उत्पाद शुल्क लगाये जाने से क्षेत्र आधारित छूट के लिए हकदार है।

(xii) कि किसी व्यापारिक निर्यातकर्त्ता को जारी किये गये उक्त प्राधिकार के संबंध में, इस अधिसूचना के अनुसार आयातक के लिए जो भी बंधपत्र भरना जरुरी होगा वह निर्यातक व्यापारिक और उसको समर्थन देने वाले विनिर्माता द्वारा संयुक्त रूप से भरा जायेगा जो दोनो को संयुक्त रूप से और अलग-अलग बाध्य करेगा कि वे इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तो को पूरा करेंगे ।

(2) इस अधिसूचना में निहित किसी बात के बावजूद शर्त सं. (ix) और (xi) में वास्तविक उपयोगकर्त्ता के लिए निर्धारित शर्तें उस प्राधिकार के बारे में लागू नहीं होंगी जो 17 फरवरी, 2009 से 30 सितम्बर, 2009 तक किये गये आयात के लिए कच्ची चीनी के आयात के लिए जारी किया गया है और निर्यात संबंधी दायित्व को 17 फरवरी, 2009 से किसी अन्य कारखाने से सफेद चीनी की खरीद करके पूरा किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए:-

(i) "शुल्केय माल" से अभिप्राय उस माल से है जिसपर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जिसे छूट प्राप्त नहीं है और जिस पर 'शून्य' दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

(ii) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय विदेश व्यापार नीति 2009-2014 से है जिसका प्रकाशन भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचना सं.1/2009-2014, दिनांक 27 अगस्त, 2009, समय-समय पर यथा संशोधित, के द्वारा किया है।

(iii) "लाइसेसिंग प्राधिकारी या क्षेत्रीय प्राधिकारी" से अभिप्राय उस विदेश व्यापार महानिदेशक से है जिसकी नियुक्ति विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22 से है) या ऐसे अधिकारी से है जिसे उसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किये गये हो ।

(iv) "विनिर्माण" का वही अभिप्राय है जो विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.37 में दिया गया है।

(v) "सामग्री" से अभिप्राय निम्न से है:-

(क) कच्चे माल, घटक, सहायक, उपभोग योग्य, उत्प्रेरक या उसके भाग से है जो परिणामी उत्पाद के विनिर्माण के लिए जरुरी होते है।

(ख) मेन्डेटरी स्पेयर्स जो लाइसेंस मूल्य के 10% तक सीमित है और परिणामी उत्पादों के साथ-साथ जिसका आयात जरुरी होता है।

(ग) परिणामी उत्पाद के विनिर्माण के लिए जरुरी ईंधन

(घ) पैकेजिंग सामग्री जो कि परिणामी उत्पादों की पैकेजिंग के लिए जरुरी है।

(vi) "विशिष्ट चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट" से अभिप्राय ऐसे सांविधिक लेखा-परीक्षक या चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से है जो कम्पनी अधिनिराम 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत अथवा राज्य सरकार के बिक्री कर/मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत अथवा आयकर अधिनियम,

1961 (1961 का 43) के अंतर्गत आयातकर्त्ता के वित्तीय दस्तावेजों को अभिप्रमाणित करता है।

[फा. सं. 605/58/2009-डी बी के]

राजेश कुमार अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION
New Delhi, the 11th September, 2009
No. 99/2009-CUSTOMS

G.S.R. 665(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts materials imported into India, against an Advance Authorisation for Annual Requirement (hereinafter referred to as the said Authorization) with actual user condition in terms of Paragraph 4.1.10 of the Foreign Trade Policy from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and from the whole of the additional duty, leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions namely,-

(i) that the said licence is produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit the quantity and value of imports;

(ii) that the said authorisation bears,-

(a) the name and address of the supporting manufacturer also in such cases where the authorisation has been issued to a merchant exporter;

(b) the shipping bill number(s) and date(s) and description,quantity and value of exports of the resultant product in cases where import takes place after fulfilment of export obligation; or

(c) the description, Cost Insurence Freight value and other specifications of the imported materials and the description,quantity and Free on Board value of exports of the resultant product covered under an export product group specified in the Hand Book of Procedures Volume 1, in such cases where import takes place before fulfilment of export obligation;

Provided further that in respect of the inputs specified in paragraph 4.24A (i) of the Hand Book of Procedures, Volume 1 of the Foreign Trade Policy, the material permitted in the said authorization shall be of the same quality, technical characteristics and specifications as the materials used in the export of the resultant product:

Provided also that the exporter shall give declaration with regard to the technical characteristics, quality and specifications of materials used in the export of resultant product, in the shipping bill;

(iii) that the authorizations issued on the basis of self declaration where Standard Input Output Norms are not fixed, shall also be valid for import of inputs required for the manufacture of export products provided the authorization holder shall prove to the satisfaction of the jurisdictional Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, that an application in Aayat Niryat form along with documents specified therein has been submitted to the Director General of Foreign Trade, in terms of para 4.7 of the Hand Book of Procedures , Volume 1 of the Foreign Trade Policy before making the first shipment;

(iv) that in respect of imports made before the discharge of export obligation, the importer at the time of clearance of the imported materials executes a bond with such surety or security and in such form and for such sum as may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself to pay on demand an amount equal to the duty leviable, but for the exemption contained herein, on the imported materials in respect of which the conditions specified in this notification are not complied with, together with interest at the rate of fifteen percent per annum from the date of clearance of the said materials;

(v) that in respect of imports made after the discharge of export obligation, if facility of CENVAT Credit under CENVAT Credit Rules, 2004 has been availed, then the importer shall, at the time of clearance of the imported materials furnish a bond to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself, to use the imported materials in his factory or in the factory of his supporting manufacturer for the manufacture of dutiable goods and to submit a certificate, from the jurisdictional Central Excise officer or from a specified chartered accountant within six months from the date of clearance of the said materials, that the imported materials have been so used:

Provided further that if the importer pays additional duty of customs leviable on the imported materials but for the exemption contained herein, then the imported materials may be cleared without furnishing a bond specified in this condition and the additional duty of customs so paid shall be eligible for availing CENVAT Credit under the CENVAT Credit Rules, 2004;

(vi) that in respect of imports made after the discharge of export obligation in full, and if facility under rule 18 or sub-rule (2) of rule 19 of the Central Excise Rules, 2002 or CENVAT credit under CENVAT Credit Rules, 2004 has not been availed and the importer furnishes proof to this effect to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs as the case may be, then the imported materials may be cleared without furnishing a bond specified in condition (v);

(vii) that the imports and exports are undertaken through seaports at Bedi (including Rozi-Jamnagar), Chennai, Cochin, Dahej, Dharamtar,Haldia (Haldia Dock complex of Kolkata port) Kakinada, Kandla, Kolkata, Krishnapatnam, Magdalla, Mangalore, Marmagoa, Muldwarka, Mumbai, Mundhra,Nagapattinam, Nhava Sheva, Okha, Paradeep, Pipavav, Porbander, Sikka, Tuticorin, Visakhapatnam and Vadinar or through any of the airports at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Chennai, Cochin, Coimbatore, Dabolim (Goa), Delhi, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kolkata, Lucknow (Amausi), Mumbai, Nagpur, Rajasansi (Amritsar), Srinagar, Trivandrum and Varanasi or through any of the Inland Container Depots at Agra, Ahmedabad, Anaparthy (Andhra Pradesh), Babarpur, Bangalore, Bhadohi, Bhatinda, Bhilwara, Bhiwadi, Bhusawal, Chheharata (Amritsar), Coimbatore, Dadri, Dappar (Dera Bassi),

Daulatabad (Wanjarwadi and Maliwada), Delhi, Dighi (Pune), Durgapur (Export Promotion Industrial Park), Faridabad, Garhi Harsaru, Gauhati, Guntur, Hyderabad, Jaipur, Jallandhar, Jamshedpur, Jodhpur, Kanpur, Karur, Kota, Kundli, Loni (District Ghaziabad), Ludhiana, Madurai, Malanpur, Mandideep (District Raisen), Miraj, Moradabad, Nagpur, Nasik, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Pondicherry, Raipur, Rewari, Rudrapur(Nainital), Salem, Singanalur, Surat, Surajpur, Tirupur, Tuticorin, Udaipur, Vadodara, Varanasi, , Waluj (Aurangabad) or through the Land Customs Station at Agartala, Amritsar Rail Cargo, Attari Road, Changrabandha, Dawki, Ghojadanga, Hilli, Jogbani, Mahadipur, Nepalganj Road, Nautanva (Sonauli), Petrapole, Ranaghat, Raxaul, Singhabad and Sutarkhandi or a Special Economic Zone notified under section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005):

Provided that the Commissioner of Customs may with in the jurisdiction , by special order, or by a Public Notice, and subject to such conditions as may be specified by him, permits import and export from any other seaport/airport/inland container depot or through any land customs station;

(viii) that sourcing of the imported materials from Private Bonded Warehouses set up under paragraph 2.28 of the Foreign Trade Policy would be allowed;

(ix) that the export obligation as specified in the said authorization (both in value and quantity terms) is discharged within the period specified in the said authorization or within such extended period as may be granted by the Regional Authority by exporting resultant products, manufactured in India which are specified in the said authorization and in respect of which facility under rule 18 or sub-rule (2) of rule 19 of the Central Excise Rules, 2002 has not been availed:

Provided that an Advance Intermediate authorization holder shall discharge export obligation by supplying the resultant products to exporter in terms of paragraph 4.1.3 (ii) of the Foreign Trade Policy;

(x) that the importer produces evidence of discharge of export obligation to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, within a period of sixty days of the expiry of period allowed for fulfilment of export obligation, or within such extended period as the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, may allow;

(xi) that the exempt materials shall not be disposed of or utilized in any manner except for discharge of export obligation or for replenishment of such materials and the materials so replenished shall not be sold or transferred to any other person:

Provided that the said materials may be transferred to a job worker for processing subject to complying with the conditions prescribed in the relevent Central Excise notifications permitting transfer of materials for job work:

Provided further that, no such transfer for purposes of job work shall be effected to the units located in areas eligible for area based exemptions from the levy of excise duty in terms of notification Nos. 49/03-CE and 50/03-CE both dated 10th June,2003, 32/99-CE dated 8th July,1999, 33/99-CE dated 8th July,1999, 8/04-CE dated 21st January,.2004, 20/07-CE dated 25th April,.2007,56/02-CE dated 14th November, 2002,57/02-CE dated 14th November,.2002, 71/03-CE dated 9th

(xii) that in relation to the said Authorization issued to a manufacturer exporter or merchant exporter, any bond required to be executed by the importer in terms of this notification shall be executed jointly by the manufacturer exporter or merchant exporter as the case may be and the supporting manufacturer binding themselves jointly and severally to comply with the conditions specified in this notification.

(2). Notwithstanding anything contained in the notification, the actual user condition specified in condition numbers (ix) and (xi) shall not be applicable in respect of authorisation issued for import of raw sugar for imports made from 17th February, 2009 till 30th September, 2009 and the export obligation may also be fulfilled by procuring white sugar from any other factory with effect from the 17th February, 2009.

Explanation.- For the purposes of this notification,-

(i) "Dutiable goods" means excisable goods which are not exempt from central excise duty and which are not chargeable to 'nil' rate of central excise duty;

(ii) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy 2009-2014, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide notification No.1 /2009-2014, dated the 27th August 2009 as amended from time to time;

(iii) "Licensing Authority or Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorized by him to grant a licence under the said Act;

(iv) "Manufacture" has the same meaning as assigned to it in paragraph 9.37 of the Foreign Trade Policy;

(v) "Materials" means

(a) raw materials, components, intermediates, consumables, catalysts and parts which are required for manufacture of resultant product;

(b) mandatory spares within a value limit of ten per cent. of the value of the licence which are required to be exported along with the resultant product;

(c) fuel required for manufacture of resultant product;

(d) packaging materials required for packing of resultant product;

(vi) "Specified Chartered Accountant" means a statutory auditor or a Chartered Accountant who certifies the importer's financial records under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the Sales Tax/ Value Added Tax Act of the State Government or the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961).

[F. No. 605/58/2009-DBK]
RAJESH KUMAR AGARWAL, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064